न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
156/2019	23.12.2019	27.02.2026

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– अनिल आत्मज बलवान जाति जाट निवासी बरोंदा तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा

(वादी)

बनाम

1– लोकेश आत्मज बंशीलाल
2– रामजानकी आत्मजा बंशीलाल
3– उर्मिला पुत्री बंशीलाल
4– रामधनी पुत्री बंशीलाल
5– द्वारका बाई बेवा बंशीलाल
6– दीलबाग सिंह पुत्र मांगेराम जी जाति जाट निवासी बरोंदा तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाण।
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से –श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 की ओर से – श्री गिरीराज प्रसाद मीणा एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 6 की ओर से – श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत घारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बाबत घोषणा, इन्द्रराज दुरूस्ती स्थाई निषेघाज्ञा

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में निम्न खसरा नम्बरान की भूमि स्थित चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 सलंग्न है–

खसरा नं0 294 रकबा 2.16 है0
खसरा नं0 299 रकबा 0.35 है0
कुल दो किता रकबा 2.51 है0

यह कि यह कि राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि रामपाल आ0 मोतीलाल व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के शामलाती खातें में दर्ज चली आ रही थी। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का 1/2 हिस्सा

व रामपाल का 1/2 हिस्सा दर्ज था। यह कि प्रतिवादी नं0 1 ता 5 ने अपने 1/2 हिस्से की आराजी को 5,00,000/– रूपयें में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.2016 को बैचान कर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर कब्जा दे दिया तब से ही उक्त 1/2 हिस्से की भूमि पर वादी का कब्जा काश्त बहैसियत खरीददार व खातेदार के चला आ रहा है। यह कि वादी ग्राम रलायता के बाहर रहने के कारण उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम इंतकाल नहीं खुला सका और आज भी भूमि में प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम 1/2 हिस्से पर दर्ज चला आ रहा है। यह कि सहखातेदार रामपाल ने भी 1/2 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी नं0 6 को बेचान कर दी जिसके आधार पर 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी नं0 6 का नाम अंकित हो चुका है। यह कि वादी के पक्ष में हुये विक्रय पत्र के आधार पर वादी इन्तकाल नहीं खुला सकने के कारण आज भी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम दर्ज है जब कि उक्त 1/2 हिस्से की भूमि से प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का कोई संबंध नहीं रहा है और न कभी कब्जा रहा है। किन्तु प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5 वादी को उक्त 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाखलत पैदा करने व रिकार्ड के आधार पर पुनः भूमि बेचान करने पर आमादा है जिसका कि प्रतिवादी नं0 1 ता 5 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 ता 5 को उनका नाम हटाने व वादी का नाम दर्ज कराने हेतु दिनांक 13.12.2019 को कहा तो प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5 ने वादी को 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने, बेदखल करने व भूमि को बेचान करने की धमकी दी। जिसका कि प्रतिवादीगण नं 1 ता 5 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे वादी को 1/2 हिस्से की भूमि पर काश्त करने से रोके व बेदखल करे, व उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बेचान करें। इस कारण उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी गण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।यह कि वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 ता 5 द्वारा अपने 1/2 हिस्से की भूमि बेचान वादी को करने पर, 1/2 हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त चले आने पर, प्रतिवादी नं0 1 ता 5 द्वारा वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व भूमि को रहन व बेचान खुर्द बुर्द करने की धमकी दिनांक 13.12.2019 को पैदा हुआ। यह कि प्रतिवादी नं0 7 भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी नं0 6 सहखातेदार होने पर फोरमल पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद अर्जेन्ट नेचर एवं इमीजिएड रिलीफ से संबंधित होने के कारण प्रतिवादी नं0 7 राजस्थान सरकार को धारा 80 जा0दी0 के तहत दो माह का नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी गण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे– कि ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं0 294 रकबा 2.16 है0 खसरा नं0 299 रकबा 0.35 है0 कुल 2 किता 2.51 है0 भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि का वादी को उक्त विक्रय पत्र दिनांक 03.06.2014 के आधार पर खातेदार घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम डिलीट किया जाने की आज्ञा व डिक्री पारित किया जावें। कि स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5 ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा की

खसरा नं0 294 रकबा 2.16 है0 खसरा नं0 299 रकबा 0.35 है0 कुल 2 किता रकबा 2.51 है0 भूमि में से वादी को 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 5 उक्त भूमि को अथवा उसके किसी भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:–

1– नकल चालान प्रति
2– नकल विक्रय पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 5 की ओर अधि0 श्री गिरीराज प्रसाद मीणा आये। प्रतिवादी नं0 6 की ओर से अधि0 प्रमोद चौधरी आये। प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं गया अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण को साक्ष्य पर नियत किया गया। वादी साक्ष्य में वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य शपथ–पत्र PW-1 अनिल आत्मज बलवान का पेश किया गया। जो शामिल फाईल किया गया। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

पत्रावली में बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात में आद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन एवं मनन करने से हम निष्कर्ष पर पहुंचे है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं0 294 रकबा 2.16 है0 खसरा नं0 299 रकबा 0.35 है0 कुल 2 किता रकबा 2.51 है0 भूमि मे से 1/2 हिस्से की भूमि का वादी को उक्त पर खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम डिलीट किया जाकर वादी को खातेदार दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। यदि राजस्व शुल्क बनता है तो नियमानुसार वसूल किया जावें। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– अनिल आत्मज बलवान जाति जाट निवासी बरोंदा तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा

(वादी)

बनाम

1– लोकेश आत्मज बंशीलाल
2– रामजानकी आत्मजा बंशीलाल
3– उर्मिला पुत्री बंशीलाल
4– रामधनी पुत्री बंशीलाल
5– द्वारका बाई बेवा बंशीलाल
6– दीलबाग सिंह पुत्र मांगेराम जी जाति जाट निवासी बरोंदा तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाण।
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से –श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 की ओर से – श्री गिरीराज प्रसाद मीणा एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 6 की ओर से – श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 89 188 आर.टी.एक्ट
मिसल नं 156/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं0 294 रकबा 2.16 है0 खसरा नं0 299 रकबा 0.35 है0 कुल 2 किता रकबा 2.51 है0 भूमि मे से 1/2 हिस्से की भूमि का वादी को उक्त पर खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम डिलीट किया जाकर वादी को खातेदार दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 27.02.2026 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0